

सदस्य:- अट्ठारवें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जबलपुर(म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी – गौरव प्रज्ञानन)

Registration No.	MACC- 03/2025
Filing No.	16481/2024
CNR No.	MP2001-053242-2024
Filing Date	24-12-2024
Registration Date	06-01-2025



- (1) श्रीमति पिकी काछी पति स्व. श्री कनई प्रसाद काछी उम्र लगभग 24 वर्ष
- (2) हर्ष काछी पिता स्व. श्री कनई प्रसाद काछी उम्र लगभग 03 वर्ष
- (3) योगेश काछी पिता स्व. श्री कनई प्रसाद काछी उम्र लगभग 6 माह
कं. 2 व 3 नाबालिक द्वारा बली मॉ श्रीमति पिकी काछी पति स्व. श्री कनई प्रसाद काछी उम्र 24 वर्ष
- (4) श्रीमति सियारानी पति गणेश काछी उम्र लगभग 56 वर्ष
- (5) गणेश काछी पिता रगवार काछी उम्र लगभग 65 वर्ष सभी निवासी इन्द्रा नगर सुहागी थाना आधारताल जिला जबलपुर म0प्र0

.....**आवेदकगण**

:: वि रू द्ध ::

- (1) सचिन कुमार पंथी पिता देवी प्रसाद पंथी निवासी वार्ड नं0 12 तहसील बेगमगंज जिला रायसेन (म.प्र.)
(वाहन चालक पिकअप वाहन कं. एमपी38-जी/0828)

(Handwritten signature)
 25/1/25
 (गौरव प्रज्ञानन)
 अट्ठारवें अतिरिक्त मो.दु.अधि.(अट्ठारवें)
 जबलपुर (म.प्र.)

- (2) मनीष कुमार पंथी पिता भजन लाल
निवासी वार्ड नं0 12 तहसील बेगम गंज
जिला रायसेन (म.प्र.)
(वाहन मालिक पिकअप वाहन कं. एमपी38-जी/0828)
- (3) फ्यूचर जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
पता फ्रस्ट फ्लोर प्लॉट नं. 6 संता समिति
अहिंसा चौक, विजय नगर जबलपुर (म.प्र.)
(वाहन बीमा कंपनी पिकअप वाहन कं. एमपी38-जी/0828)
.....अनावेदकगण

आवेदक द्वारा	:- श्री राजाराम पटेल अधिवक्ता।
अनावेदक क. 1	:- एकपक्षीय।
अनावेदक कं. 2	:- अनुपस्थित।
अनावेदक कं. 3 द्वारा	:- श्री राजेश उपाध्याय अधिवक्ता।

:: अधिनिर्णय ::
(दिनांक 25.06.2025 को पारित)

1. आवेदकगण ने यह क्लेम प्रकरण धारा 166 मोटरयान अधिनियम के तहत दुर्घटना **(सुसंगत दिनांक 05.12.2024 को मृतक नरेश पटेल की मृत्यु के परिणामस्वरूप क्षतिपूर्ति राशि 44,50,000/- रुपये 12 प्रतिशत ब्याज सहित अनावेदकगण से प्राप्त करने हेतु दिनांक 06.01.2025 को प्रस्तुत किया है।**
2. आवेदकगण एवं अनावेदक क.3 की ओर से बीमा कंपनी, जिसके द्वारा वाहन का बीमा किया गया है, ने संयुक्त हस्ताक्षर से समझौता आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 व्य.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत किया कि उनके बीच आपसी समझौता हो चुका है तथा आपसी समझौते के आधार पर आवेदकगण एकमुश्त रुपये 14,00,000/- (चौदह लाख रुपये) लेकर प्रकरण में समझौता करना चाहता है।
3. उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौता आवेदन पत्र पर विचार किया गया। समझौते का सत्यापन संबंधित पक्षकारों से किया गया। पक्षकारों ने यह राजीनामा स्वेच्छया से किया है।

(Handwritten signature)
25/6/25
(**श्रीराम प्रदानब**)
म्य.मो.दु.अधि.(अवकाश)
जबलपुर (म.प्र.)



4. अतः उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौता आवेदन पत्र विधिवत् होने से स्वीकार किया जाता है। फलस्वरूप निम्नानुसार अवार्ड पारित किया जाता है:-

नाम	BANK OF BARODA IFSC CODE BARBOVJ JABA	देय राशि	बचत खाते में माध्यम से डिजिटली ट्रांसफर/सावधि
आवेदक क. 01 श्रीमति पिकी काछी	खाता कं. 78510100 015151	जमा होने वाली संपूर्ण राशि में से 40 प्रतिशत	आवेदक श्रीमती उर्मिला को प्राप्त होने वाली राशि में से 50 प्रतिशत राशि उसके राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाते के माध्यम से नकद प्रदाय किये जावे तथा शेष 50 प्रतिशत राशि में से 10, 10, 10, 10 एवं 10 प्रतिशत की राशि कुल पाँच सावधि खाते क्रमशः के एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, चार वर्ष एवं पाँच वर्ष के निक्षेप से देय होगी। जो भी ब्याज की राशि होगी वह आवेदिका क्रमांक 1 को नगद बचत खाते के माध्यम से देय होगी सावधि खाते में जमा राशि उसके नियमित खर्च के लिये त्रिमासिक रूप से जो भी ब्याज होगा नगद आवेदिका क्रमांक 1 को देय होगा।
आवेदक कं. 2 हर्ष काछी	खाता कं.	जमा होने वाली संपूर्ण राशि में से 20 प्रतिशत	आवेदक क्रमांक 2 हर्ष काछी के अव्यस्क होने से उसे प्राप्त होने वाली राशि व्यस्क होने तक राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि खाते में निक्षेपित होगी उक्त राशि से प्राप्त होने वाले ब्याज का त्रिमासिक भुगतान आवेदिका क्रमांक 1 को देय होगा।

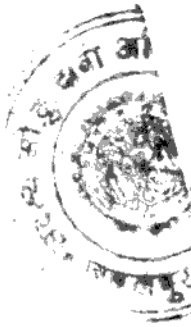
1/10/25
25/10/25
(मोहय प्रमाणन)
कमल मो. दु. व. अ. वि. (अटवस्व)
जयपुर (ज.प्र.)

आवेदक कं. 3 योगेश काछी	खाता कं.	जमा होने वाली संपूर्ण राशि में से 20 प्रतिशत	आवेदक क्रमांक 3 योगेश काछी के अव्यस्क होने से उसे प्राप्त होने वाली राशि व्यस्क होने तक राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि खाते में निक्षेपित होगी उक्त राशि से प्राप्त होने वाले ब्याज का त्रिमासिक भुगतान आवेदिका क्रमांक 1 को देय होगा।
आवेदक कं. 4 श्रीमति सियारानी काछी	खाता कं. 24538100 025347	जमा होने वाली संपूर्ण राशि में से 10 प्रतिशत	आवेदक क्रमांक 4 श्रीमति सियारानी काछी को प्राप्त होने वाली राशि में से संपूर्ण राशि उसके राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाते के माध्यम से नकद प्रदाय किये जावे।
आवेदक कं. 5 गणेश काछी	खाता कं. 78510100 015087	जमा होने वाली संपूर्ण राशि में से 10 प्रतिशत	आवेदक क्रमांक 5 गणेश काछी को प्राप्त होने वाली राशि में से संपूर्ण राशि उसके राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाते के माध्यम से नकद प्रदाय किये जावे।

(1) अनावेदक बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के रूप में **14,00,000/- (चौदह लाख रुपये)** दो माह के भीतर आवेदकगण के बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा करें एवं जमा करने की सूचना आवेदकगण/उसके अधिवक्ता को प्रदान करें तथा पावती न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

(2) दो माह की अवधि में राशि जमा किये जाने में व्यतिक्रम किये जाने पर बीमा कंपनी अधिनिर्णीत राशि पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगी।

(3) आवेदकगण द्वारा स्वयं का बैंक खाता विवरण इत्यादि अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उसे आदेशित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा IN RE: COMPENSATION AMOUNTS DEPOSITED WITH MOTOR ACCIDENT CLAIMS

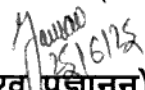


25/6/25
(जीएच प्रबन्धक)
जिला न्यायाधीश (अवकाश)
जबलपुर (म.प्र.)

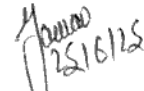
TRIBUNALS AND LABOUR COURT, WP(Civil) 7/2024 आदेश
दिनांक-22.04.2025 में पारित दिशा निर्देशों के पालन में अधिकरण के
समक्ष पासबुक की फोटोप्रति एवं आधारकार्ड 15 दिवस के भीतर
प्रस्तुत करे।

5. राजीनामा आवेदन इस अवार्ड का अंश होगा। उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन स्वयं करेंगे।
6. उक्त अधिनिर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क आवेदक व अनावेदक क. 2 को दी जाये तथा साथ-साथ उभयपक्ष के ईमेल पर प्रेषित की जाये।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।


(गौरव प्रज्ञानन)

18वें अति मो०दु०दा०अधि०
जबलपुर (म०प्र०)


(गौरव प्रज्ञानन)

18वें अति मो०दु०दा०अधि०
जबलपुर (म०प्र०)

